बिहार विधान परिषद्

187वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि 08 अग्रहायण, 1939 (श.) / 29 नवम्बर, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 09

1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	03
2.	सहकारिता विभाग	-	-	01
3.	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	-	-	01
4.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	02
5.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	01
6.	पर्यटन विभाग	-	-	01
			कुल योग –	09

पदाधिकारियों की सेवा पैतृक विभाग में वापसी कबतक

8. **प्रो. नवल किशोर यादव एवं श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना उच्च न्यायालय में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-5068/17 अमरनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 7.8.17 को पारित न्याय निदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव ने ज्ञापांक 330555, दिनांक 26.9.17 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने-अपने विभागों में कार्यरत दूसरे विभाग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा उनके पैतृक विभाग में वापस करने के लिए कहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग ने दूसरे विभाग के पदाधकारियों (बी.डी.ओ. के पद पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों) की सेवा उनके पैतृक विभाग में वापस कर दी है किन्तु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अभी तक दूसरे विभाग के पदाधिकारियों, जो अंचलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को उनके पैतृक विभाग में वापस नहीं किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निदेश एवं मुख्य सचिव के ज्ञापांक के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दूसरे विभाग के पदाधिकारियों की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करना सुनिश्चित करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्थानान्तरण कबतक

9. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा एवं प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग की सरकारी सेवक नियमावली के अनुसार किसी कर्मी को उनके गृह जिला में पदस्थापन का प्रावधान नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यालय संयुक्त निबन्धक सहयोग समितियां, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में श्री स्मित प्रसाद, उ.व.लि., श्री प्रेम प्रकाश, उ.व.लि. एवं कई अन्य कर्मी ऐसे पदस्थापित हैं, जिनका गृह जिला मुजफ्फरपुर है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय होने के कारण ये कर्मी भयादोहन एवं भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित कर्मी को इनके गृह जिला से अन्यत्र जिले में अविलम्ब स्थानान्तरित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पूर्ण राशि देने का निदेश

10. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से बेल्ट्रॉन द्वारा नियत पारिश्रमिक पर डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर सेवारत संविदा कर्मियों को 13 हजार 822 रुपये की जगह 3350 रुपये काटकर 10532 रुपये दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा अन्य इसी पद पर कार्यरत कर्मियों को पूर्ण राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में बेल्ट्रॉन सहित अन्य संविदा कर्मियों का निर्धारित राशि में से काटने का प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन संविदाकर्मियों को पूर्ण राशि देने का निदेश बेल्ट्रॉन को देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

11. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला अन्तर्गत वनखंडी हनुमान मंदिर का धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा न्यास का गठन कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा अंचल अधिकारी, लखीसराय को बार-बार निदेश देने के बावजूद स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमित भूमि की नापी कराकर अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वनखंडी हनुमान मंदिर की अतिक्रमित भूमि को कबतक अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है?

मुहल्ले में दवा का छिड़काव नहीं

12. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी पटना के कई मुहल्लों यथा पुनाईचक, राजवंशी नगर, पटेलनगर, महेशनगर, केशरीनगर आदि में डेंगू का भयंकर प्रकोप है और अधिकांश घरों के लोग बुखार से पीड़ित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन मुहल्लों में नगर निगम द्वारा मच्छरों के विरुद्ध छिड़काव या तो नहीं किया जाता है अथवा छिड़काव बहुत दिनों के अंतराल पर किया जाता है एवं छिड़काव में प्रयुक्त होनेवाला रसायन कम गुणवत्ता का प्रयोग किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन चीजों पर ध्यान देकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु लगातार प्रभावपूर्ण तरीके से छिड़काव कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण से मुक्त

13. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया नगर निगम, गया क्षेत्रान्तर्गत मुड़ली हील बेरागी मोड़ वार्ड नं.-11 के बगल में एक गली है, जो स्टेशन रोड एवं तेलबिगहा रोड को जोड़ती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गली का अतिक्रमण कर एक करकट का कमरा बना दिया गया है, जिसके कारण बिजली का खंभा एवं पानी का पाइप नहीं बिछाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गली में किये गये अतिक्रमण को कबतक मुक्त कराना चाहती है?

पदनाम परिवर्तित

14. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत सहायकों, उच्चवर्गीय लिपिकों एवं निम्न वर्गीय लिपिकों का पदनाम क्रमश: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट एवं जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट कर दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड ‘क’ का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या बिहार सरकार भी केन्द्रीय सचिवालय की तर्ज पर विधान मंडल एवं सचिवालय में कार्यरत असिस्टेंट, यू.डी.सी. एवं एल.डी.सी. का पदनाम क्रमश: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट एवं जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राज्य विकसित कबतक

15. **श्री टुनजी पाण्डेय** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के दरौली प्रखंड स्थित अमरपुर में सरयू तट पर काफी मात्रा में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड ‘क’ का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अमरपुर गांव को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विहार के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

16. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत प्रखंड, मुंगेर थाना मुफस्सिल के ग्राम – मय दरियापुर बाबा टोला पथ, जो ग्रामीण पी.सी.सी. पथ है, उस पथ पर ही श्री सदानंद सिंह, श्री सुभाष सिंह, श्री किशोर सिंह, पिता-स्व. दीप नारायण सिंह द्वारा पैखाना का टंकी बनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि अंश ‘क’ में वर्णित व्यक्तियों द्वारा ही सरकारी नाले को अतिक्रमित कर सेरिटक लैट्रिन भी बना दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि ग्रामीणों द्वारा इसकी लिखित शिकायत अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, थाना प्रभारी, मुफस्सिल आरक्षी अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमणकारियों पर एफ.आई.आर. की कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा किये गये सरकारी पथ एवं नाले को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 29 नवम्बर, 2017